न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 98/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		संगीता पत्नी चुन्नीलाल जाति सांसी निवासी सांसी कॉलोनी, रातानाडा जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्रीमती महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 22.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी संगीता पत्नी चुन्नीलाल जाति सांसी निवासी सांसी कॉलोनी, रातानाडा जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 01 रिफलिंग मशीन मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21. 02.2025 को पुलिस विभाग की सूचना एंव जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा सांसी कॉलोनी, रातानाडा जोधपुर स्थित मकान की आकस्मिक जांच की गई, मौके पर अप्रार्थी संगीता पत्नि चुन्नीलाल निवासी सांसी कॉलोनी रातानाडा जोधपुर द्वारा घर में 04 घरेलु सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफलिंग मशीन का उपयोग कर टेक्सियों में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया तथा जांच टीम को देखकर महिला मौके से फरार हो गई। सिलेण्डर व सामग्री को जब्त कर पुलिस थाना एयरपोर्ट लाकर सुरक्षित रखा गया गया तथा अप्रार्थी को थाने बुलाकर पुछताछ करने पर अप्रार्थी संगीता पत्नी चुन्नीलाल द्वारा टैक्सीयों में अवैध गैस रिफलिंग कार्य किया जाना स्वीकार किया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

मौके पर पाये गये कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वजन	कुल वजन मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	ईण्डेन	407562s	15.5 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
2.	ईण्डेन	466780	15.0 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.

3.	ईण्डेन	447259s	15.8 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
4.	ईण्डेन	290162S	15.6 कि.ग्रा.	21.0 कि.ग्रा.	05.4 कि.ग्रा.

उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री खेताराम पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्भा फलोदी, प्रतिनिधि वीर शिव गैस सर्विस जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व अवैध रिफलिंग में उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 01 रिफलिंग मशीन मय पाइप मय नोजल एंव 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री राज करण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरो (इण्डेन) का अवैध भण्डारण कर अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिए जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को न्यायालय हाजा से जारी नोटिस क्रमांक 209 दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी का उक्त अवैध रिफलिंग कार्य से कोई सरोकार नहीं है, अप्रार्थी झाडु पोचा का कार्य करती है, इनके द्वारा किसी प्रकार का अवैध गैस रिफलिंग कार्य नहीं किया जाना बताया गया।

हमने विभागीय पेरोकार एंव अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री के माध्यम से टैक्सियों में अवैध गैस रिफलिंग किये जाने के संबध में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं होना तथा उक्त से कोई सरोकार नहीं होना बताया परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी संगीता पत्नी चुन्नीलाल द्वारा उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों (इण्डेन) का बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध भण्डारण कर एंव 01 रिफलिंग मोटर मय पाइप मय नोजल एंव 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग कार्य में किया गया है। मौका फर्द अनुसार अप्रार्थी संगीता पुत्री चुन्नीलाल द्वारा अवैध रूप से टैक्सियों में एलपीजी गैस रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर उक्त कृत्य किया जाना स्वीकार किया गया। जब्तसूदा सिलेण्डरों में नाप किये जाने पर कुछ सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पाई गई, रिफलिंग सामग्री का मौकास्थल पर पाया जाना, एंव मौकाफर्द पर अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर रिफलिंग कार्य किये जाने संबधी स्वीकृति होने से स्पष्ट है कि उक्त जब्तसूदा सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री अप्रार्थी संगीता पत्नी चुन्नीलाल के स्वामित्व के है एंव उक्त का अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग किया गया है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

(प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (इण्डेन) तथा 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे एंव 01 रिफलिंग मशीनें मय पाइप मय नोजल को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर